

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— भ्रनिब्यूरो / सामान्य / 2025 / 873

दिनांक :— 7.3.2025

ई—बोली आमंत्रण सूचना संख्या 15/2024–25

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कॉन्फ्रेन्स हॉल हेतु LED 86" क्रय हेतु इच्छुक विनिर्माता या प्राधिकृत डीलर/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/चैनल पार्टनर से ई—बोली (e-Bid) आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	विवरण	
1.	क्रय / आपूर्ति की जाने वाली वस्तु / आईटम का नाम।	LED 86"
2.	क्रय / आपूर्ति की जाने वाली वस्तु / आईटम की मात्रा	01
3.	क्रय / आपूर्ति की जाने वाली वस्तु / आईटम की अनुमानित लागत	Rs. 520000/-
4.	सप्लाई अवधि	कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से अधिकतम 10 दिवस की अवधि में
5	बोली प्रतिभूति राशि	10400/-
6	बोली प्रपत्र शुल्क (ई ग्रास से चालान के जरिये)	Rs. 500/-
7	RISL का प्रक्रिया शुल्क (ई ग्रास से चालान के जरिये)	Rs. 500/-
8	प्रकाशन दिनांक	07-03-25
9	बोली प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ की तिथि व समय	07-03-25
10	बोली प्रपत्र अपलोड प्रारम्भ की तिथि व समय	07-03-25
11	बोली प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि व समय	11-03-25, 6 PM
12	बोली प्रपत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	11-03-25, 6 PM
13	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	12-03-25, 11.15 AM

विस्तृत बोली प्रपत्र एवं शर्तें, अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय तक वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। बोली प्रपत्र को निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में मय दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अंतिम तिथि एवं समय तक अपलोड करना होगा।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति एक ही चालान से ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा करवाने हेतु ई—ग्रास पोर्टल पर विभाग का नाम 124- Anti Corruption Bureau का चयन किया जावे। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाये जाने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाईट
<http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल
<https://sppp.rajasthan.gov.in> पर एवं विभागीय वेबसाईट <http://acb.rajasthan.gov.in> पर देखी जा
सकती है।

पुलिस अधीक्षक— प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं ।

- 1— निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 3 प्रतियां मय सीडी में प्रेषित कर निवेदन है कि बोली आमन्त्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 46 (6) में विहित प्रावधानुसार न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर अविलम्ब प्रकाशन करावें ।
- 2— समस्त सदस्य उपापन समिति ।
- 3— ए०सी०पी/डीडी/आई.ए. कम्प्यूटर शाखा, भ्रनिब्यूरो, जयपुर को भेज कर लेख है कि निविदा को विभागीय वेबसाईट, एसपीपीपी पोर्टल एवं ई- प्रॉक पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करवाने में सहयोग प्रदान करें।
- 6— उप निदेशक (जनसंपर्क) भ्रनिब्यूरो, जयपुर को भेज कर लेख है कि निविदा को शीघ्रातिशीघ्र समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने में सहयोग करें।
- 7—नोटिस बोर्ड मुख्यालय ।

पुलिस अधीक्षक— प्रशासन

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर

Annexure- A

ई— बोली की आवश्यक शर्तें

नोटः— बोलीदाताओं को शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प. 6 (5)वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाईन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क राशि 500/- रुपये एवं RISL प्रोसेसिंग शुल्क राशि 500/- रु. एवं बोली प्रतिभूति राशि 10400/- एक ही चालान से ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। बोली प्रपत्र शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के चालान को भी ई-बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेंगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।

राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बंधित निविदादाताओं को बोली प्रतिभूति राशि (उपापन हेतु प्राककलित मूल्य का 2 प्रतिशत) जमा करवानी होगी या ऐसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। **बोली प्रतिभूति एवं निविदा प्रपत्र शुल्क में राज्य सरकार के नियमानुसार ही छूट देय होगी।** इसके लिये बोलीदाता को भारत सरकार द्वारा जारी UAM की छायाप्रति ई-बिड के साथ अपलोड करनी होगी।

जिन निविदादाताओं द्वारा पूर्व में जारी निविदा सूचना सं 10/2024–25 दिनांक 19.02.2025 में बोली प्रतिभूति जमा करवा दी गई थी उनको पुनः बोली प्रतिभूति राशि 10400/- जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मात्र बोली प्रपत्र शुल्क राशि 500/- रुपये एवं RISL प्रोसेसिंग शुल्क राशि 500/- रु. ही जमा करवाना है।

2. क्वालिफाईंग बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) खोलने की नवीनतम जानकारी वैबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
3. जो बोलीदाता ई-बोली में भाग लेना चाहते हैं वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक ई-बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. **निविदादाताओं को Annexure D में उल्लेखित आईटमों (संख्या एवं स्पेसिफिकेशन) के अनुसार आईटम आपूर्ति करने होंगे।**

5 बोली प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख पात्रताएँ :-

क्र.सं.	पात्रता हेतु शर्तें	सहायक दस्तावेज
1.	बोलीदाता को निविदा में चाहे गये उत्पाद का विनिर्माता (OEM)/ प्राधिकृत डीलर/ ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर /चैनल पार्टनर होना आवश्यक है।	बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न Annexure-1 में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे।
2.	बोलीदाता को अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।	पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
3.	बोलीदाता को वैध पैनकार्ड धारक होना आवश्यक है।	पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
4.	Bidder Turnover :- बोली दाता फर्म की प्रकाशित अंकेक्षित बैलेंस शीट के अनुसार बोली दाता फर्म का वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक का औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 15 लाख रुपये होना आवश्यक है।	चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी किया गया टर्नओवर प्रमाण पत्र जिसमें सी.ए. के रजिस्ट्रेशन न. एवं UDIN No. अंकित हो, ई-बोली के साथ अपलोड करना होगा।
5.	OEM Turnover :- आपूर्ति की जाने वाले आईटम के ओईएम का वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक का औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 500 करोड रु. होना आवश्यक है।	चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी किया गया टर्नओवर प्रमाण पत्र जिसमें सी.ए. के रजिस्ट्रेशन न. एवं UDIN No. अंकित हो, ई-बोली के साथ अपलोड करना होगा।
6.	बोलीदाता को किसी भी उपापन संस्था (Procurement Entity) द्वारा Blacklisted (काली सूची) एवं Debarred (विवर्जित) किया हुआ नहीं होना चाहिये न ही उक्त आईटम की आपूर्ति में विभाग के समक्ष विवाद विचाराधीन होना तथा न ही विवाद के फलस्वरूप वाद दायर होना चाहिये।	इस हेतु बोली दाता को Annexure-2 में प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
7.	बोलीदाता को दिनांक 01.04.2021 से Bid Submission की दिनांक तक केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्रशासित प्रदेश के विभागों/पीएसयू/बैंक में IT Equipments की आपूर्ति का अनुभव (न्यूनतम राशि रु. 15.00 लाख) होना चाहिए।	संबंधित विभाग से प्राप्त कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र अथवा कार्यादेश अथवा टैक्स इन्वॉयस की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
8.	फर्म के पास निविदा की दिनांक को वैध OEM Authorization Certificate (MAF) होना आवश्यक है।	Annexure 4 (Indicative) में OEM Authorization Certificate (MAF) संलग्न करना होगा।
9	निविदा में वांछित समर्त दस्तावेजों की पूर्ति करना आवश्यक है।	Annexure A पर Qualifying Bid के बिन्दु (xiii) में उल्लेखित चैकलिस्ट के अनुसार एवं निविदा में यथा उल्लेखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

7. बोलीदाता को Annexure A पर Qualifying Bid के बिन्दु (xiii) में उल्लेखित चैकलिस्ट के समस्त बिन्दुओं की पूर्ति करनी होगी एवं तदनुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
8. समस्त प्रमाण—पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण—पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ होना आवश्यक है।
9. दरों की वैधता —प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।
10. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में आपूर्ति, इन्स्टॉलेशन, कमीशनिंग समिलित होंगे। इसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
11. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समप्रहत (Forfeit) कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (Debar) किया जा सकेगा।
12. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए तथा कोई भी दस्तावेज / प्रमाण पत्र जाली एवं कूटरचित नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा पाया जाता है तो बोली दाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। तकनीकी बिड खोलने के पश्चात विभाग द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज बोलीदाता को यथा समय प्रस्तुत करने होंगे।
13. बोलीदाता विभागीय बोली एवं संलग्न परिशिष्टों एवं अनुलग्नकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्टों एवं अनुलग्नकों में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप समस्त परिशिष्ट एवं अनुलग्नक डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त ई—बोली के साथ स्केन कर अपलोड करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई—बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।
14. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि 'उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
15. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार पुलिस अधीक्षक—प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेंगे।
16. विभाग द्वारा उपापन में अंकित आइटम की मात्रा नियमानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
17. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना पुलिस अधीक्षक—प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो राजस्थान जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
- (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं पुलिस अधीक्षक—प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो राजस्थान जयपुर को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सभी कों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

18. जीएसटी पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं जीएसटी रिटर्न

- (i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण—पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी। नियमानुसार देय जीएसटी पर समय—समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से टीडीएस काटकर ही भुगतान किया जावेगा।
19. जीएसटी पंजीयन पत्र में निविदत्त वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। जिससे यह स्पष्ट हो कि वह निविदत्त वस्तु में व्यापार करता है।
20. बोलीदाता को बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप समस्त परिशिष्ट एवं अनुलग्नकों पर अपने हस्ताक्षर उपरान्त बोली के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
21. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा।
- 22. दरे :—**
- (i) बोली में दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (ii) बोली मूल्याकांन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :—
- (क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकांन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।
ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्याधीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।
- (iii) बोली में दर अंकित करते समय जीएसटी अलग से अंकित की जावे व जीएसटी की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे “टैक्स पैड” “कर सहित” “एज एप्लीकेबल” का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा जीएसटी में कालान्तर में बढ़ोत्तरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

- (iv) बोली में दरें Annexure D में अंकित स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों के अनुसार गन्तव्य स्थान भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें जीएसटी के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर पर की जावेगी।
- (v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
- (vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त निविदा मानकर निरस्त कर दी जावेगी।
- (vii) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन/सैम्प्ल के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी।
- (ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है (नेगोशियेशन के अतिरिक्त) तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (x) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु निविदा दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

23. बातचीत (Negotiation) :-

- (i) जहाँ तक संभव हो निविदाकारों (बोलीदाताओं Bidders) से कोई बातचीत (**Negotiation**) नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम दर प्रदाता/अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :—
- (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो

या

- (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
- (ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (**Negotiation**) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर

सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

24. **बोली की विधि मान्यता :-** दरों की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।
25. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मैंक एवं ड्राईंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो राजस्थान जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
26. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
27. **स्पेसिफिकेशन:-**
- (i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित Annexure D में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलों में जहाँ कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो राजस्थान जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय निविदादाताओं (बोलीदाताओं) के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- (ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती हैं, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत, किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।
- (iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिन के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिन पश्चात् बोलीदाताओं द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- (iv) बोलीदाता द्वारा Annexure D में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।
28. **डेमोस्ट्रेशन/प्रेजेन्टेशन :-** विभाग द्वारा चाहे जाने पर बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित आईटम का डेमोस्ट्रेशन / प्रेजेन्टेशन विभाग में उपस्थित होकर करना होगा।
29. **माल की सप्लाई :-**

- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दग्गी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक सुवित्तयुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।
- (iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान जयपुर भेजा जायेगा।

30. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

31. सुपुर्दग्गी अवधि (Delivery Period)

- (i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी वह कार्यादेश से अधिकतम 10 दिवस की अवधि में माल की सप्लाई करेगा।
- (ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।
- (iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इन्स्टालेशन किया जाना है वहाँ प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था सप्लाई अवधि आगे भी बढ़ा सकेगी।

32. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)

- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम प्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी अनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

33. संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन:- सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपापत्ति (क्रय) की जावेगी जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपापत्ति की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर निष्पक्ष (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

34. करार एवं कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि (Agreement and Performance Security) :

1. (अ) निविदा सूचना में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 कार्यदिवस में नियमानुसार राशि के स्थाप्य पर एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबंध करार निम्न प्रकार किया जावेगा :-
 - (i) यदि निविदा निर्माता (वृहत्/मध्यम/लघु)/ द्वारा दी गई है तो अनुबंध स्वयं निर्माता द्वारा अभिलिखित किया जावेगा।
 - (ii) यदि निविदा, निर्माता/वास्तविक निर्माता के अधिकृत डीलर द्वारा दी गयी है जिसे विशेष तौर पर इस निविदा हेतु अधिकृत किया गया है तो अनुबंध करार अधिकृत डीलर द्वारा किया जावेगा।
 - (iii) यदि निविदा वास्तविक निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा दी गयी है तो अनुबंध करार वास्तविक निर्माता के द्वारा किया जावेगा एवं निविदा के साथ वांछित सभी प्रपत्र निर्माता के द्वारा ही प्रस्तुत किये जायेंगे।
 - (iv) करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादन नहीं करने पर राजस्थान लोक सेवाओं में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 76 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) (i) करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए तत्समय प्रभावी राजकीय नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निर्धारित समय में एवं निर्धारित रूप में जमा करानी होगी :-
 - (ii) उक्त सुरक्षा राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - (iii) उक्त सुरक्षा राशि पुलिस अधीक्षक प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी :-
 - (क) ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा “
 - (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक
- (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
- (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियाँ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेंगी।

- (ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाले बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के सम्पहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ सम्पहत कर ली जायेगी।
2. खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को समिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदा संबंधी बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।
- नोट:-** अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।
3. संविदा को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।
- (क) एक समय पर खरीद के मामले में क्य आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।
- (ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।
4. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का सम्पहरण (Forfeiture of Security Deposit)** :- सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में सम्पहरण (Forfeiture) किया जाएगा : -
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब निविदादाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के सम्पहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
5. निविदादाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे : -
- (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रामाणित प्रति।
- (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
6. साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में निविदा एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

35. **बीमा** :— निविदादाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएगे । यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

36. **भुगतान**:-

- (i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा ।
- (ii) माल के भुगतान करने पर किये गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जावेगे ।
- (iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।
- (iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे ।
- (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।
- (vi) जीएसटी नियमो के अनुसार जीएसटी पर टीडीएस काटकर भुगतान किया जायेगा ।
- (vii) **परिनिर्धारित क्षति** (Liquidated Damage) :— परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :—
 - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5%
 - (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए – 5%
 - (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए – 7.5%
 - (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अवधि के विलम्ब के लिए – 10%
 - (ङ.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा ।
 - (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।
 - (छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है । किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।
 - (ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी ।

वसूलियाँ :— परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी । कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए

मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (L.D.) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्यसम्पादन प्रतिभूति से की जायेगी । यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

37. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी ।
38. बोलीदाता को बिड स्पेसिफिकेशन की Compliance के प्रमाण स्वरूप OEM के लेटर हैड पर Bid Specification with conditions Compliance Sheet संलग्न करनी होगी ।
39. निविदादाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 13 (4) के प्रावधानों एवं संबंधित परिपत्रों की पालना करना आवश्यक है । इस हेतु निविदा के साथ Annexure 6 में उल्लेखित प्रारूप में Undertaking संलग्न करना आवश्यक है ।
40. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी । यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा । किसी भी स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो ।
41. विभाग के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या निविदा सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा ।
42. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित च्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।
43. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे ।
44. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह नौटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी ।
45. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए ।
46. राजस्थान राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश/परिपत्र/नियम निविदा के भाग के रूप में समझे जावेंगे ।
47. **निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह निविदा में वांछित स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों का भली प्रकार से अध्ययन करे। निविदा शर्त 38 में चाही गई Bid Specification Compliance Sheet पर यदि निविदादाता/ औईएम द्वारा स्पेसिफिकेशन की अभिस्वीकृति के फलस्वरूप Yes अंकित किया जाता है एवं उक्त आधार पर फर्म को तकनीकी निविदा में योग्य करार देकर कार्यादेश जारी कर दिया जाता है एवं आपूर्ति के समय जांच के दौरान यह पाया जाता है कि फर्म द्वारा आपूर्ति किया गया आईटम बिड स्पेसिफिकेशन की पूर्ति नहीं करता एवं निविदादाता द्वारा गलत Compliance Sheet प्रस्तुत कर कार्यादेश प्राप्त किया गया है तो इस स्थिति में आपूर्ति स्वीकार नहीं की**

जावेगी। समस्त बोली प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार निविदादाता को ब्लौकलिस्ट करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्त स्वीकार करने के प्रमाण—स्वरूप

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर (बोली प्रपत्र—क्वालीफाईंग बिड)

Annexure B

ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या 15 / 2024–25

दिनांक :-

- (i) LED 86" आपूर्ति के लिए ई- बोली (e-Bid)

(ii) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूर्ण पता
.....

दूरभाष.न. मोबाईल न., फैक्स नम्बर ई-मेल सहित :-

.....

(iii) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :- पुलिस अधीक्षक —प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, राजस्थान, जयपुर

(iv) सन्दर्भ :- ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या 15/2024-25 दिनांक

(v) बोली प्रपत्र शुल्क :-राशि 500/- रुपये चालान न.
दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है ।

(vi) प्रोसेसिंग फीस :- राशि 500/- रुपये चालान न. दिनांक ..
.. जमा करा दी है ।

(vii) हम ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या 15/2024-25 दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्टों में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। उक्त परिशिष्टों के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण—स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा दोनों परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न हैं।

(viii) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा ई-बोली सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दग्गी कर दी जाएगी।

(ix) हम सम्पुष्टि करते हैं कि “प्राईस बिड” में अंकित की गई दरें “प्राईस बिड” खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य होगी।

(x) हम सम्पुष्टि करते हैं कि “प्राईस बिड” में अंकित दरें विभागीय Annexure D में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं ।

(xi) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या है।

(xii) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है।

(xiii) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज़ के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है।

आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

S.N.	Type of Certificate & Other informations	Yes/ No
1.	Whether E- challan copy for submitting Bid document fee, Bid Security and RISL processing fee is submitted with e-Bid. Provide detail of e- Challan no. dt.....	
2.	Whether All schedules and Enclosures have been downloaded, signed and submitted with e-Bid	
3.	Whether GST registration certificate is submitted with e-Bid	
4.	Whether Income Tax PAN CARD Copy is submitted with e-Bid	
5.	Whether desired Bidder Turnover Certificate (issued by CA) is submitted with e-Bid. (As per Bid Condition No. 5.4)	
6.	Whether desired OEM Turnover Certificate (issued by CA) is submitted with e-Bid. (As per Bid Condition No. 5.5)	
7.	Whether Bidder is Manufacturer/ Authorized dealer / Channel Partner or not? Attach Necessary Certificate in Annexure 1	
8.	Whether Certificate of firm for not being Blacklisted and debarred, by any Govt Deptt/PSUs is submitted with e-Bid. (Annexure 2-Qualifications)	
9.	Whether Bid Specification Compliance Sheet (As per bid condition No. 38) is enclosed.	
10.	Whether Documents of Experience is enclosed (As per Bid Condition No. 5.7)	
11.	Whether Certificate of Conformity/ No Daviation (Annexure 3) is Enclosed	
12.	Whether Manufacturers Authorization Form (Annexure 4) enclosed. (As per bid Condition No. 5.8)	
13.	Whether Undertaking on Authenticity of Equipment (Annexure 5) is Enclosed	
14.	Whether Undertaking (Annexure 6) is enclosed regarding Prior Registration of Bidders from the countries sharing land border with India. (As per Bid Condition No. 39)	

- (XIV) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।
- (XV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई-बोली में निर्धारित तरीके BOQ (Excel Sheet) में प्रस्तुत की गई है।

नोट :-

- 1 Annexure B क्वालीफाईंग बिड है क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र / परिशिष्ट, अनुलग्नक डाउनलोड करके उस पर हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा।
- 2 Annexure C प्राईस बिड है उसे ई-बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर

Annexure C
(बोली प्रपत्र—प्राईस बिड)

ई—बोली आमंत्रण सूचना संख्या 15 / 2024—25 दिनांक :—

दरें :— ई—बिडिंग के निर्धारित फोरमेट BOQ (Excel Sheet) में ही दी जावें।

नोट:-

1. अस्पष्ट वाक्य जैसे— ‘टैक्स पेड, कर सहित, ‘एज़ एप्लीकेबल’ का प्रयोग नहीं किया जावे।
2. जीएसटी/एसजीएसटी/सीजीएसटी में यदि कोई रियायत उपलब्ध है अथवा चाही गई हो तो तत्सम्बन्धी बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति प्राईस बिड के साथ संलग्न करें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure D

Technical Specification for 86" LED TV

Particulars	Description of Minimum Requirement
General	UHD Colour display Screen of minimum 86 (Diagonal) with 4K professional Display Unit with required cables and connector
Fitting	The Screen should be supplied with wall mount kit
Brightness	500 Nits or better
Contrast Ratio	1000: 1 or better
Viewing Angle (Horizontal/Vertical)	178° / 178° or better
Response time (G -to- G)	10 ms or better
Display Colour	1 Billion or better
Input	At least 2 HDMI , USB 2.0/ 3.0
Output	Audio Stereo Mini Jack, Optional Digital Out, HDMI Out
External Controls	RS 232 C , RJ 45
Speaker	Should have built in Stereo Speakers
Power	Power Supply : AC 100-240 V , 50/60 Hz Stanby power consumption less than 1 Watt
Remote Control	Wireless remote control with each display unit
Certification	UL, FCC, BIS Certification
Warranty	5 Year on site OEM Warranty

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement procesas shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement procesas or to otherwise influence the procurement procesas;
- (b) Not misrepresaent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairnesas and progresas of the procurement procesas;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement procesas;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement procesas;
- (f) not obstruct any invesatigation or audit of a procurement procesas;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgresasions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding procesas must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interesat is considered to be a situation in which a party has interesats that could improperly influence that party's performance of official dutiesa or resaponsibilitiesa, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interesat with one or more partiesa in a bidding procesas if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal represaentative for purposesa of the Bid ;or
 - d. Have a relationship with each other, directly or througha common third partiesa, that puts them in a position to have accesas to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding procesas; or
 - e. The Bidder participatesa in more than one Bid in a bidding procesas. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this doesa not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any or its affiliatesa participated as a consultant in the preparation of the desaign or technical specifications of the Goods, Works or Servicesa that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliatesa has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and addressees of the First Appellate Authority is

The designation and addressees of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through a registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. I

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s)
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal of the representative:
5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal :

.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :

.....

.....

.....

Place

Date

ANNEXURE-1: DECLARATION BY BIDDER (To be signed by bidders)

I/ We declare that I am/we are Manufacturers / Authorised dealer/ Channel Partner in the goods/stores/ equipment for which I/ We have quoted.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and the bid, if any, to the extent accepted may be cancelled.

Name of the Bidder:-

Authorised Signatory: -

Seal of the Organization:-

Date:

Place:

ANNEXURE 2: DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS

In relation to my/our Bid submitted toFor Procurement ofin response to their Notice Inviting Bids No...Dated I/ we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:-

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/ our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. / we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition.
6. 1/ we will comply with the code of integrity as specified in the bidding document

If this declaration is found to be incorrect, then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules thereto prescribed by GoR, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:
Designation:

Address:

ANNEXURE-3: CERTIFICATE OF CONFORMITY/NO DEVIATION (to be filled by the bidder)

To.

SP (Adm)
Anti Corruption Bureau
Rajasthan, Jaipur

CERTIFICATE

This is to certify that, the specifications of Hardware & Software which I/ We have mentioned in the Technical bid, and which I/ We shall supply if I/ We/ am/ are awarded with the work, are in conformity with the minimum technical specifications of the bidding document and that there are no deviations of any kind from the required specifications.

Also, I/ we have thoroughly read the bidding document and by signing this certificate, we hereby submit our token of unconditional acceptance to all the terms & conditions of the bidding document without any deviations and assumptions.

I/We also certify that the price I/ we have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the project, to meet the desired Standards set out in the bidding Document.

Thanking you,

Name of the Bidder: -

Authorised Signatory:

Seal of the Organization:

Date:

Place:

ANNEXURE-4: MANUFACTURER'S AUTHORIZATION FORM (MAF)

(To be filled by the OEM)

(Indicative Format)

To.

SP (Adm)
Anti Corruption Bureau
Rajasthan, Jaipur

Subject: Issue of the Manufacturer's Authorisation Form (MAF)

Reference: NIB/RFP Ref. No.

dated

Sir.

We (name and address of the OEM) who are established and reputed original equipment manufacturers (OEMS) having factories at addresses of manufacturing location, do hereby authorize (M/s who is our (Distributor/Channel Partner/Retailer/ Others <please specify) to bid, negotiate and conclude the contract with you against the aforementioned reference for the following Hardware/Software/ other items manufactured by us

OEM will mention the details of all the proposed product(s) with their make/model.

We undertake to provide OEM Warranty for the offered Hardware/ Software/ other items, as mentioned above.

We hereby confirm that the offered Hardware/ Software/ other items are as per specification mentioned in the RFP.

We hereby confirm that the offered Hardware/Software/ other items is not likely to be declared as End-of-Sale within next 6 months from the date of bid submission.

We hereby confirm that the offered Hardware/Software/ other items is not likely to be declared as End-of-Service/Support within Warranty Period.

Yours faithfully,

For and on behalf of M/s (Name of the manufacturer)

(Authorized Signatory)

Name,

Designation & Contact No.:

Address with Seal

ANNEXURE-5: UNDERTAKING ON AUTHENTICITY OF EQUIPMENT

To.

SP (Adm)
Anti Corruption Bureau
Rajasthan, Jaipur

Reference: NIB No.:

I/ We hereby undertake that all the components/parts/assembly/ software used in the equipment shall be Genuine, original and new components /parts/assembly/software from respective OEMs of the products and that no refurnished/duplicate/ second hand components/parts/assembly/ software are being used or shall be used. In respect of licensed operating system, we undertake that the same shall be supplied along with the authorized license certificate with our name/logo. Also, that it shall be sourced from the authorized source for use in India.

In case, we are found not complying with above at the time of delivery or during installation, for the equipment already billed, we agree to take back the equipment already supplied at our cost and return any amount paid to us by you in this regard and that you will have the right to forfeit our Bid Security/ PSD for this bid or debar/ black list us or take suitable action against us.

Authorized Signatory

Name:

Designation:

ANNEXURE-6: UNDERTAKING ON COMPLIANCE TO LAND BORDER POLICY

To.

SP (Adm)
Anti Corruption Bureau
Rajasthan, Jaipur

Reference: NIB No.:

In response to the NIB Ref no.....dated..... I/ We hereby undertake that presently our company/firm.....
.....at the time of bidding comply with sub rule 4 under RTPP Rules 2013 and order of FD Rajasthan dated 30.03.2021, 15.01.2021 & Other related circulars. If this declaration is found to be incorrect than without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable act and rules thereto prescribed by Government of Rajasthan, My/Our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Authorized Signatory

Name:

Designation: